नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019

एक परिचय

कमल संदेश

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास

पी.पी.– 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली – 110003

आज जो विपक्ष हमारी पार्टी की पंथनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी पंथनिरपेक्षता बहुत सीमित है और हमारी बहुत व्यापक।

जो पीड़ित व प्रताड़ित हैं उनको लाना हमारी पंथनिरपेक्षता की व्याख्या है और आपकी पंथनिरपेक्षता सिर्फ और सिर्फ एक धर्म तक ही सीमित है।

– **अमित शाह,** भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019

एक परिचय

कमल संदेश

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास
पी.पी.– 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली – 110003
फोन : 011–23381428, फैक्स : 011–23387887

प्रकाशकीय

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार असंख्य शरणार्थियों के जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। धर्म के आधार पर भारत विभाजन का दंश झेल रहे अगणित परिवारों को इससे नया जीवन मिलेगा। उत्पीड़ित, त्यक्त एवं निराश्रितों को गले लगाकर 'वसुधैव कुटुंबकम' की प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप यह निर्णय निश्चित ही एक गौरवपूर्ण भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करता है। इस निर्णय से हर भारतीय का मस्तक ऊंचा हुआ है।

देश के अनेक चिरलंबित समस्याओं का अत्यधिक कुशलता से समाधान करने के लिए मोदी सरकार को आने वाले समय में जाना जाएगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति, अटूट प्रतिबद्धता, पूर्ण समर्पण, दूरदर्शिता तथा हृदय में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की आवश्यकता थी। ये समस्यायें वोट–बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण खड़ी की गई कई प्रकार की बाधाओं से और भी अधिक जटिल प्रतीत होती थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में जिस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान निकाला गया है, उससे यह कहने में अब कोई संशय नहीं है कि देश प्रगति एवं विकास के पथ पर अब बढ़ चला है।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने वाला है तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देने वाला है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों ने जिस प्रकार से इस विधेयक का विरोध करने का प्रयास किया है, उससे इन दलों की 'वोट बैंक' एवं तुष्टीकरण की राजनीति पुनः बेनकाब हुई है। कांग्रेस भारत विभाजन की अपनी ऐतिहासिक गलतियों के लिए प्रायश्चित करने से एक बार पुनः चूक गई है। आने वाले समय में भी देश की जनता कांग्रेस को और भी अधिक कड़े पाठ पढ़ायेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का इन चिरलंबित समस्याओं का दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति के लिए सारा देश अभिनंदन कर रहा है। साथ ही, जिस प्रकार से देश के गृहमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 'नए भारत' को जमीन पर उतारने के लिए अपने राजनैतिक कौशल का प्रदर्शन किया है, उसकी देश के कोने–कोने में भूरि–भूरि प्रशंसा हो रही है।

हम इस पुस्तिका में अपने सुधी पाठकों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारियां प्रकाशित कर रहे हैं, विश्वास है कि यह हर पाठक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रकाशक

कमल संदेश, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास

दिसंबर, 2019 — पी.पी.- 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली - 110003

अनुक्रमणिका

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019

पृष्ठभूमि 06

एक संक्षिप्त परिचय 07

'यह विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा' 10

कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर 15

साल 2003–2014 के बीच पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार 24

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बचाव में भारतीय नेताओं के बयान 26

भाजपा संकल्प पत्र 2019 30

पृष्ठभूमि

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से सम्बंधित है। इन देशों में पिछले कई दशकों से हिन्दुओं, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए इन धर्मों के अनुयायी समय-समय पर विस्थापित होकर भारत आते रहे हैं। तकनीकी तौर पर उनके पास भारत की नागरिकता हासिल करने का कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है। अतः एक भारतीय नागरिक को मिलने वाली सुविधाओं से वह वंचित ही रहे हैं।
- धार्मिक आधार पर भेदभाव एक शर्मनाक घटना है। जिसका किसी भी राष्ट्र में होना वहां के मानवीय मूल्यों का ह्रास दर्शाता है। पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के अनुसार हर साल 5,000 विस्थापित हिन्दू भारत आते हैं। (डॉन, 13 मई, 2014)
- यह संख्या आधिकारिक आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों खासकर हिन्दुओं को जबरन धर्म परिवर्तन, नरसंहार, बलात्कार और संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा सहना पड़ता है। इन सबसे बचकर जब वह भारत आते हैं, तो यहां उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकती। यह पूर्ण रूप से मानवीय अधिकारों का हनन है।

एक संक्षिप्त परिचय

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब यह अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को लोक सभा ने 9 दिसंबर और राज्य सभा ने 11 दिसंबर को अपनी मंजूरी दे दी थी। यह अधिनियम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से लिखा जायेगा तथा यह धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान है।
- इसके उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपनी नागरिकता संबंधी विषयों के लिए एक विशेष विधायी व्यवस्था की जरूरत है। अधिनियम में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने से वंचित न करने की बात कही गई है।
- इसमें कहा गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तों को पूरा करता है, तब अधिनियम के अधीन निर्धारित किये जाने वाला सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पर विचार करते समय उनके विरुद्ध 'अवैध प्रवासी' के रूप में उनकी परिस्थिति या उनकी नागरिकता संबंधी विषय पर विचार नहीं करेगा।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 बनने से पहले भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उक्त अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी शामिल हैं, वे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे। किंतु

यदि वे अपने भारतीय मूल का सबूत देने में असमर्थ थे, तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत "प्राकृतिकरण" (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिये आवेदन करने को कहा जाता था। यह उनको बहुत से अवसरों एवं लाभों से वंचित करता था।

- इसलिए नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची का संशोधन कर इन देशों के उक्त समुदायों के आवेदकों को "प्राकृतिकरण" (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिये पात्र बनाया गया है। इसके लिए ऐसे लोगों मौजूदा 11 वर्ष के स्थान पर पांच वर्षों के लिए अपनी निवास की अवधि को प्रमाणित करना होगा।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में वर्तमान में भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के कार्ड को रद्द करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।
- उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय आबादी को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी की संरक्षा और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1973 की "आंतरिक रेखा प्रणाली" के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किये गए कानूनी संरक्षण को बरकरार रखा गया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य बातें

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
- ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे।
- अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए अधिनियम में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर पांच साल भी भारत में रहे हों, तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।

- यह भी व्यवस्था की गयी है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी।
- ओसीआई कार्डधारक यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केंद्र को है, पर उन्हें सुना भी जाएगा।

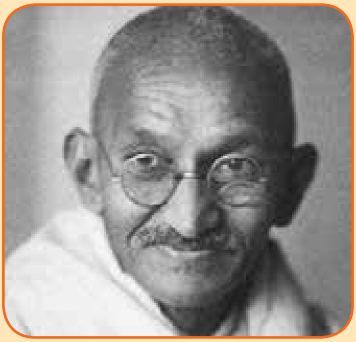

26 सितंबर, 1947 को महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा में खुले तौर पर घोषणा की

पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू और सिख, हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते हैं। उस स्थिति में, उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है।

'यह विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा'

मा. गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए वक्तव्य के मुख्य बिंदु :

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान इस विधेयक में है। प्रस्तुत हें इसके मुख्य बिंदुः

विधेयक का उद्देश्य

- यह विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा।
- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है। इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है, वह लोग या तो मार दिए गए, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वे शरणार्थी बनकर भारत में आए।
- तीनों देशों से आए धर्म के आधार पर प्रताड़ित ऐसे लोगों को संरक्षित करना इस विधेयक का उद्देश्य है।
- भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई अहित नहीं है ।
- इस बिल का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से पीड़ित थे ।
- यह उन निश्चित वर्गों के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए इन तीन देशों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
- इसमें उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है।

किसको मिलेगी नागरिकता

- पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीन देशों की जो सीमाएं भारत को छूती हैं, उन तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, वहां की लघुमती के लोग, जो भारत में आए हैं, वे किसी भी समय आए हों, उनको

नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान इस विधेयक में है।

- जो किसी भी तरह से भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं जाते हैं ऐसे शरणार्थियों को उचित आधार पर नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान हैं ।

विधेयक में प्रावधान

- धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने का सवाल है।
- हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, जो पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीन देशों से आते हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इससे उनको मुक्ति दे दी गई है।
- यदि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों और प्रतिबंधों के तौर-तरीकों को अपना कर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनके माध्यम से वे भारत की नागरिकता ले पाएंगे।
- ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 या तीसरे शैड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो जिस तिथि से वे भारत में आए हैं, उसी तिथि से उनको नागरिकता दे दी जाएगी।
- पश्चिमी बंगाल के अन्दर ढेर सारे शरणार्थी आए हुए हैं, अगर वे 1955 में आए, 1960 में आए, 1970 में आए, 1980 में आए, 1990 में आए या 2014 की 31 दिसंबर के पूर्व आए, उन सभी को उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी, जिस तिथि से वे आए हैं।

हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, जो पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीन देशों से आते हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इससे उनको मुक्ति दे दी गई है।

- इससे उनको कोई LEGAL CONSEQUENCE FACE नहीं करना पड़ेगा।
- अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में, घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई भी केस चल रहा है, तो वह केस इस बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जाएगा। वह LEGAL PROCEEDING उसको FACE नहीं करना पड़ेगा।
- अगर आवेदक किसी भी प्रकार का अधिकार या privilege ले रहा है, तो इस प्रावधान के तहत वह अधिकार व privilege से वंचित नहीं कर दिया जाएगा।
- कई जगह कुछ जो शरणार्थी आए हैं, उन्होंने छोटी-मोटी दुकान खरीद ली है, वे अपना काम कर रहे हैं। कानून की दृष्टि में हो सकता है कि वह अवैध हो, गैर-कानूनी हो। मगर यह बिल उनको protect करता है कि उन्होंने भारत में अपने निवास के समय में जो कुछ भी किया है, उसको यह बिल regularize कर देगा। उनकी उस status को कहीं पर भी वंचित नहीं करेगा।
- जैसे किसी की शादी हुई, बच्चे हुए, इन सब चीजों को यह बिल regularize करेगा।

अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में, घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई भी केस चल रहा है, तो वह केस इस बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जाएगा। वह LEGAL PROCEEDING उसको FACE नहीं करना पड़ेगा।

उत्तर-पूर्व के राज्यों में लागू नहीं होगा विधेयक

- जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके अधिकारों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उनकी सामाजिक पहचान को preserve करने के लिए, उनको

संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर प्रावधान हुए हैं।

- जनजातीय इलाकों पर यह बिल लागू नहीं होगा।
- उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, Sixth Schedule में असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और अब पूरा मणिपुर भी नोटिफाई हो चुका है।
- इसी तरह Bengal Eastern Frontier Regulation Act, 1973 के तहत Inner Line Permit के इलाके, पूरा मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, अधिकांश नागालैंड और मणिपुर, इन सारे एरिया में भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 1985 से लेकर 35 साल तक किसी को चिंता नहीं हुई कि असम के लोगों की भाषा की रक्षा, साहित्य की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, पूरे सामाजिक परिवेश की रक्षा, उनके political representation का protection, इन सारी चीज़ों के लिए जो करना था, वह हुआ ही नहीं।
- वह तब हुआ, जब इस देश ने नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई।

उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, Sixth Schedule में असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और अब पूरा मणिपुर भी नोटिफाई हो चुका है।

- श्री नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- असम के सभी मूल निवासियों की सभी हितों की चिंता क्लॉज़- 6 कमिटी के माध्यम से किया जायेगा ।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित रखा जाएगा और इस विधेयक में संशोधन के रूप में इन राज्यों

के लोगों की समस्याओं का समाधान है।

मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है यह विधेयक

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा की 'एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह बिल माइनॉरिटी के खिलाफ है, यह बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है।'
- श्री अमित शाह ने कहा 'जो इस देश के मुसलमान हैं, उनके लिए इस देश के अंदर किसी चिंता की सवाल ही नहीं है।'
- श्री नरेंद्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गई।
- श्री शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नहीं है।
- श्री नरेंद्र मोदी सरकार मानती है कि जिनकी प्रताड़ना हुई है, उन सबकी मदद सरकार को करनी चाहिए।
- श्री शाह ने कहा 'वे नागरिक हैं, नागरिक रहेंगे, उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता।'
- यहां के minority और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019, की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं और इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ होने का दावा किया जा रहा है। इन सवालों का मूल्यांकन करने के लिए और उस मिथक को तोड़ने के लिए, जो इस संशोधन के खिलाफ प्रचारित किया जा रहा है एवं इसकी वैधता का पता लगाने के लिए कुछ सवालों के जवाब निम्नवत हैंः

1. *भारत अपने नागरिकों को कैसे परिभाषित करता है और भारतीय नागरिकता के मानदंड के लिए राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी पृष्ठभूमि क्या है?*

- भारतीय नागरिकता के विचार को समझने के लिए हमें संविधान सभा के दौर में जाना होगा। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थियों की भारी संख्या के बीच भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए नागरिकता के प्रावधानों का मसौदा तैयार करना लगभग असंभव था।
- क्योंकि उस समय की स्थिति नागरिकता के प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए अनुकूल नहीं थी, नागरिकता का मुद्दा संविधान के भाग II में अनुच्छेद 11 पर निर्भर था जो संसद को भारतीय नागरिकता के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने का विशेषाधिकार देता है। इस के कारण नागरिकता अधिनियम, 1955 अस्तित्व में आया। इसलिए, यह कहना गलत है कि संसद को नागरिकता के मानदंडों में कोई बदलाव लाने का कोई अधिकार नहीं है, यह तर्क संविधान निर्माताओं के इरादों के विपरीत है। सच्चाई यह है कि संविधान सभा ने कभी भी नागरिकता के मानदंडों को अंतिम रूप नहीं दिया, बल्कि संसद को संविधान ने भारतीय नागरिकता के मानदंड को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया है।

2. *यह नागरिकता संशोधन विधेयक क्यों आवश्यक है?*

- भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान (मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों) में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को शुरू से ही धर्म के आधार पर लगातार वहां उत्पीड़न

का सामना करना पड़ा। विभाजन के दौरान भारत ने इन अल्पसंख्यकों को आश्वासन देते हुए कहा था कि यदि उनके मूल देश नेहरू-लियाकत संधि के तहत उन्हें दायित्व के अनुसार सुरक्षा देने में विफल रहते हैं तो भारत उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। इसलिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन उत्पीड़ित वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह विधेयक आवश्यक था और उन्हें भारत में नागरिकता का अधिकार दिया जा रहा है, जहां वे दशकों से अवैध प्रवासियों के रूप में रह रहे हैं।

3. *वर्तमान संशोधन क्या है? यह क्या कहता है और इसके परिणाम क्या हैं?*

1955 अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने के लिए जन्म, वंश, प्राकृतिकरण, पंजीकरण और भारत द्वारा किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण जैसी पांच श्रेणियां हैं। नागरिकता अधिनियम में यह संशोधन मुख्य रूप से प्राकृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा नागरिकता देने के प्रस्ताव को संशोधित करता है-

- विधेयक के खंड 2 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में कहता है कि अब कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (2) के उपखंड (सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों से आवेदन की छूट दी गई है उनको नागरिकता अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- विधेयक का खंड 3 नागरिकता अधिनियम, 1955 में एक नई धारा 6 बी सम्मिलित करता है; यह विधेयक के खंड 2 के तहत और धारा 6 बी (2) के तहत संरक्षित व्यक्तियों के लिए प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय क्षेत्र में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा।
- संशोधित अधिनियम की नई धारा 6बी (4) में यह प्रावधान है कि

विधेयक के उपर्युक्त खंड 2 असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जैसाकि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है इसके अतिरिक्त बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित 'द इनर लाइन' क्षेत्रों में भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

- विधेयक का खंड 6 अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन करता है, जो अधिनियम की धारा 1) 6) के तहत प्राकृतिकरण के लिए योग्यता प्रदान करता है। यह तीन मुस्लिम बहुल देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए प्राकृतिकरण द्वारा और वर्तमान मामले में नागरिकता के लिए नए आवेदन से संबंधित है। यह खंड अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए भारत में निवास या भारत सरकार के अंतर्गत सेवा शर्त को कम से कम पांच वर्ष करता है जो पूर्व में "कम से कम ग्यारह वर्ष" थी।
- इसलिए, तीन मुस्लिम देशों के सताए हुए अल्पसंख्यक अब अधिनियम की धारा 6बी के तहत नागरिकता के हकदार हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है और उन्हें इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और भारत में उनके इस तिथि के पूर्व आगमन पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि, यदि 31 दिसंबर, 2014 के बाद उक्त व्यक्तियों का भारत में प्रवेश हुआ, तो वे अधिनियम की तीसरी अनुसूची के साथ पढ़े अधिनियम की धारा 6 के तहत नागरिकता के लिए पात्र होंगे, जो भारत में कम से कम 5 वर्षों के लिए उनके निवास का प्रावधान करता है। जो पहले 11 साल था, जैसा कि प्राकृतिकिकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए अन्य देशों के लोगों पर लागू होता है।

4. *पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, और क्या विभाजन के 70 साल बाद भी उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत का कोई दायित्व है?*

- हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. बी आर अम्बेडकर एक दलित थे, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री श्री जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे। श्री मंडल ने

पाकिस्तान के दावे का खुलकर समर्थन किया था और अनुसूचित जाति समुदायों को असम में सिलहट जिले में एक जनमत संग्रह के दौरान मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा था। नेहरू-लियाकत संधि के ठीक 6 महीने बाद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री ने 8 अक्टूबर, 1950 को पाकिस्तान मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के खिलाफ बेहद भयावह हिंसा के विरोध में आया था। दुर्भाग्य से, श्री मंडल को भारत वापस आना पड़ा और शरणार्थी के रूप में उनकी मृत्यु पश्चिम बंगाल में हुई। इसलिए नेहरू-लियाकत समझौते का सम्मान करने में पाकिस्तान की विफलता के कारण, विभाजन के पीड़ितों को शरण देना भारतीय राज्य का एक संवैधानिक दायित्व बन जाता है।

5. *क्या कानून के समक्ष कोई संवैधानिक चुनौती है और कैसे?*

- अनुच्छेद 14 संविधान में निहित समानता के अधिकार का मूल है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सामान्य कानून सभी वर्गों के लोगों पर लागू होंगे। अनुच्छेद स्थापित समूहों या वर्गों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है और इस तरह के वर्गीकरण में उस उद्देश्य के साथ उचित समझ विकसित होती है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। नागरिकता संशोधन विधेयक में वर्गीकरण दो कारकों पर आधारित है
- देशों का वर्गीकरण अर्थात् अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाम शेष देशों
- लोगों का वर्गीकरण अर्थात हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई बनाम अन्य लोग

अब इस भिन्नता (वर्गीकरण) का आधार उत्पीड़न और अल्पसंख्यक हैं। चूंकि ये तीनों देश एक रूप में इस्लाम को अपना राज्य धर्म मानते हैं और यहां धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, इसलिए यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार मामले सामने आते हैं। इसलिए उत्पीड़न और अल्पसंख्यक, दोनों ही इस वर्गीकरण का आधार हैं, और चूंकि नागरिकता प्रदान कर इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर इस वर्गीकरण के सही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है इसलिए यह उचित वर्गीकरण की अनुमेय श्रेणी में

आते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शायरा बानो मामले में पुनर्विचार सिद्धांत अनुचित, भेदभावपूर्ण, जो पारदर्शी नहीं, पक्षपातपूर्ण या भाई-भतीजावाद का एक मानक है, एक कानून के लिए मनमाना और असंवैधानिक होना का पर्यायवाची है। यहां इस मामले में मनमानी बिल्कुल भी लागू नहीं है क्योंकि एक उचित वर्गीकरण का आधार जो अल्पसंख्यक और उत्पीड़न वर्ग से संबंधित है उसके सही परिभाषित मापदंडों पर ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, यह कानून उचित वर्गीकरण और गैर-मनमानी के दोनों पैमानों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करता है।

6. ***क्या यह विधेयक वास्तव में एक विशेष समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है, क्या यह वास्तव में मुस्लिम विरोधी है?***

- धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, जो अपने ही देशों में अपनी धार्मिक पहचान के कारण उत्पीड़न का शिकार होते हैं, उनके संरक्षण के लिए यदि भारत कोई कार्रवाई करता है तो यह भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करता है। जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। यह हमारे धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को मजबूत से बनाए रखता है, जो व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता के बावजूद हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। इस विधेयक का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है जो इन तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। चूंकि मुस्लिम न तो इन देशों में अल्पसंख्यक हैं और न ही धार्मिक आधार पर उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बात पर ध्यान देना बेहद जरुरी है कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता है जो इसके नागरिक हैं, इसका उद्देश्य केवल उन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है जो अपने संबंधित देशों में अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण सताए जाते हैं।
- किसी भी देश या किसी भी धर्म का कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के अनुसार ऐसा करने के लिए पात्र है। सीएबी इन प्रावधानों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है। यह केवल तीन देशों के

छह अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को पुष्ट प्राथमिकता प्रदान करता है, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

- दूसरे, अगर हम सभी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं तो देश का विभाजन जिसमें हमने अपनी जमीन का एक तिहाई हिस्सा दिया था, वह निरर्थक हो जाएगा। इसलिए, जब हम हमारी जमीन का एक हिस्सा पहले ही धार्मिक आधार पर दे चुके हैं तो उन लोगों को फिर से नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि के रूप में चुना है।

7. *क्या यह पहली बार है कि इस तरह का वर्गीकरण किया गया है और ऐसे शरणार्थियों के लिए कोई कदम उठाया गया है?*

- नहीं, यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की कवायद हो रही है। साल 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और डॉ. अंबेडकर कानून मंत्री थे, कैबिनेट ने एक कानून द इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 पारित किया। इस अधिनियम की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- उन सभी को निष्कासित करना जिन्होंने असम में अवैध रूप से गलत उद्देश्यों के साथ प्रवेश किया
- इसमें से उन लोगों को यहां निवास करने की अनुमति दी गई जो नागरिक गड़बड़ी के कारण भारत आए थे यानी व्यावहारिक रूप से हिंदू / सिख जो दंगों के कारण आए थे (उन्हें भारत में वापस रहने की अनुमति दी गई थी)।
- दूसरी बात यह है कि 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने राजस्थान और गुजरात के कुछ सीमावर्ती जिलों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने के रूप में निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार दिए थे। इसलिए, यह कहना अनुचित है कि यह पहली बार ऐसा कोई प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान में विशेष रूप से जनरल जिया-उल-हक के शासन के दौरान अत्याचार बढ़ने और उसके बाद भी हालातों में कोई विशेष सुधार नहीं होने के कारण, भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या

में लगातार इजाफा देखा गया है इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता थी, और इस विधेयक का उद्देश्य यही है।

8. *क्या उनके गृह देशों में सताए गए लोगों को भारत में आने पर खुद को शरणार्थी घोषित करने और विधेयक के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए पांच साल तक इंतजार करने की आवश्यकता है?*

❖ नहीं, यह विधेयक पूर्वव्यापी तिथि से, अर्थात् भारत में उनके प्रवेश की तारीख से नागरिकता प्रदान करता है और उन्हें स्वयं को शरणार्थी घोषित नहीं करना है। यदि उन्हें 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया गया है, तो संशोधित अधिनियम की धारा 6 बी के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 साल तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन उत्पीड़ित वर्ग को जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 के बाद भारत में प्रवेश किया है जिसका प्रावधान विधेयक की धारा 2 में किया गया है, उनकों अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा, जो पहले 11 वर्ष था।

9. *उन लोगों के बारे में जो 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान या बांग्लादेश से भारत आए थे? क्या उन्हें नए संशोधन के तहत नागरिकता के लिए भी आवेदन करना होगा?*

❖ नहीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार जो लोग 19 जुलाई, 1948 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें पहले से ही भारत का नागरिक माना जा चुका है। और जिन लोगों ने 19 जुलाई, 1948 के बाद और संविधान के लागू होने से पहले प्रवेश किया है, उन्हें भी नागरिक माना जाता है, यदि वे संविधान के अनुच्छेद 6 (बी) (ii) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पहले से ही पंजीकृत हैं। इस विधेयक का उन व्यक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 से पहले भारत में प्रवेश किया था।

10. *यह आकलन कैसे किया जाएगा कि इन देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले प्रवेश किया हैं?*

- इसे अधिनियम की धारा 6 बी के तहत आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित किया जा सकता है। इस तरह की आवश्यकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसार है।

11. ***अधिनियम की धारा 6 बी के तहत आवेदन करने के लिए 31 दिसंबर, 2014 तिथि क्यों निर्धारित किया गया है?***

- ऐसा अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसार अधिनियम की धारा 6 के तहत आवेदन करने के लिए 5 वर्ष की बाध्यता के कारण किया गया है। इस विशेष तिथि तक, ये सताए गए वर्ग अधिनियम की तीसरी अनुसूची के तहत मानदंडों को पूरा करते हैं यानी 5 साल का निवास, जो कि आवश्यक है, इसलिए यह तारीख निर्धारित हुई है।

12. ***संशोधित अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न का प्रमाण कैसे दे सकता है?***

- यह अधिनियम की धारा 6 या धारा 6 बी के तहत किए गए आवेदन में घोषणा के रूप में दिया जा सकता है और इसके लिए धार्मिक उत्पीड़न के लिए किसी विशिष्ट दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल अधिनियम की अनुसूची III के तहत दिए गए मानदंडों को पूरा करना है।

13. ***क्या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने और उसकी प्रक्रिया के दौरान इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा?***

- नहीं, संशोधित अधिनियम की धारा 6 बी (3) के दूसरे प्रावधान के अनुसार वे ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं होंगे।

14. ***उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में रहने वाले ऐसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का क्या होगा है, जहाँ यह संशोधन लागू नहीं होगा? इस संशोधन के तहत उन्हें कहां से लाभ मिल सकता है?***

- यह संशोधन असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगा, जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं और बंगाल पूर्वी सीमा नियंत्रण अधिनियम, 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन के तहत आता है, जिसका प्रावधान उनकी मूल

और स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण के लिए किया गया है। हालांकि, इन क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग देश के अन्य क्षेत्रों से एक आवेदन कर सकते हैं जहां यह संशोधन लागू है और उस स्थान से केवल नागरिकता से जुड़े अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

15. *ऐसे लोग जिन पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले चल रहे हैं, तो क्या वह लोगों इस नए प्रावधान के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे?*

- यदि उन्हें संशोधित अधिनियम के तहत उनकों नागरिकता प्रदान करने के लिए योग्य पाया जाता है, तो यह उन्हें अयोग्य घोषित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 14 का विपक्षी दलों द्वारा संकीर्ण व्याख्या

अनुच्छेद 14 की विपक्षी दलों की तरह संकीर्ण व्याख्या ना करके इसे व्यापक एवं वास्तविक संदर्भ में देखने की जरुरत है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार अत्यंत व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि समान संरक्षण का मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 अत्यंत मानवीय आधार पर लाया गया है। छह प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायों के पास अपना देश छोड़कर भारत में आकर शरण लेने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। भारत का एक लंबा इतिहास है कि उत्पीड़ित लोगों को वह हमेशा आश्रय देता आया है। चाहे वह विषय पारसी लोगों को आश्रय देने का हो या हाल ही में तिब्बत समुदाय के लोगों को आश्रय देने का हो। भारत ने हमेशा अपनी बांह फैलाकर दूसरे देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का स्वागत किया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधित कानून केवल हिंदू समुदाय के लिए नहीं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लिए भी है।

साल 2003–2014 के बीच पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

- पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों का मामला कई बार सदन में उठाया जा चुका है।
- साल 2005 में यूपीए सरकार में मंत्री विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ़ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है।
- साल 2007 में विदेश राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने बताया कि पाकिस्तान से हिन्दू भारी संख्या में भारत आ रहे हैं। इसके लिए पूर्ववर्ती और तत्कालीन सरकारों ने राहत भी प्रदान की थी।
- साल 2010 में लोकसभा में विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने बताया कि सरकार को पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ अत्याचारों की जानकारी है।
- साल 2011 में भी विदेश राज्य मंत्री प्रणीत कौर ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार हिन्दुओं के उत्पीड़न (persecution) पर चिंतित है।
- साल 2014 में यूपीए सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया कि 1,11,754 पाकिस्तानी नागरिक साल 2013 में वीजा लेकर भारत आये थे। हालांकि धर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण फ़िलहाल संभव नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में हिन्दू और सिख वीजा की अवधि ख़त्म होने पर भी भारत में रह रहे हैं।
- ऐसे प्रवासियों के लिए एक लम्बी अवधि का वीजा देने का प्रावधान अस्तित्व में था, जिसे सरकार ने लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री (राज्य) एम. रामचंद्रन ने लोकसभा में 18 फरवरी, 2014 को बताया कि लम्बी अवधि का वीजा देने का नियम पाकिस्तानी हिन्दू अथवा अल्पसंख्यकों लिए बनाया गया है। अगर वे अपने को अपने

को शरणार्थी घोषित करते हैं, तो उन्हें भारत में रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 29 दिसंबर, 2011 में नियम बनाये गए और 7 मार्च, 2012 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी।

- ऐसा ही बांग्लादेश में हिन्दुओं के उत्पीड़न की जानकारी भी सरकारों की जानकारी में थी। साल 2003 में विदेश राज्य मंत्री विनोद खन्ना ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा और अत्याचार की खबरें समय-समय पर मिलती रहती हैं।
- यूपीए कार्यकाल में भी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि सरकार को बांग्लादेश में हिन्दुओं की समस्याओं की जानकारी है। संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला ने भी साल 2013 में यह दोहराया।
- असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को 20 अप्रैल, 2012 को एक मेमोरंडम दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर उत्पीड़ितों को भारतीय बताते हुए कहा कि उन्हें भारत सरकार विदेशियों की तरह बर्ताव न करे।
- साल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार आधिकारिक रूप से मानती थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, मगर इस सम्बन्ध में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साल 2014 के बाद एनडीए सरकार में भी ऐसे मामले सामने आने लगे। इसलिए सरकार ने इन विस्थापितों की सुरक्षा के लिए एक स्थाई निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा था।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बचाव में भारतीय नेताओं के बयान

महात्मा गांधी

जिन लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया था, उन्हें पता होना चाहिए कि वे पूरे भारत के नागरिक थे ... उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे भारत की सेवा करने और उनकी महिमा से जुड़ने के लिए पैदा हुए थे।

— (12 जुलाई, 1947 की प्रार्थना सभा में)

पट्टाभि सीतारमैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

संघर्ष और पीड़ा का वह सिलसिला जारी है और बार-बार संकट पैदा करता है। वर्तमान में अनिवार्य रूप से पूर्व और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का मुद्दा है।

— (कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जारी बयान, 27 फरवरी, 1950)

जे.बी. कृपलानी, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अंतिम भाषण

हमें पाकिस्तान से आने वालों के लिए भारतीय संघ के सेवा और समझौतों के संदर्भ में केंद्रीय और प्रांतीय नियमों को सहज कर देना चाहिए।

— (एआईसीसी, नई दिल्ली, 15 नवंबर, 1947)

जवाहर लाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री

मुझे लगता है कि केंद्रीय राहत कोष का उपयोग करना वांछनीय होगा, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की आपातकालीन राहत के लिए किया जा सकता है, लेकिन जिसका उपयोग अब विशेष रूप से पाकिस्तान से शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए, जो भारत आए हैं।

— (नेशनल हेराल्ड, 25 जनवरी, 1948)

अबुल कलाम आज़ाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

शिक्षा मंत्रालय पाकिस्तान से पलायन कर दिल्ली आए सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकांश शरणार्थी शिक्षकों को अवसर प्रदान करने की कोशिश कर रहा है।

— (9 फरवरी, 1948 को सरदार पटेल को भेजा गया पत्र)

श्यामा प्रसाद मुकर्जी, भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री के रूप में

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बंगाल की समस्या एक प्रांतीय समस्या नहीं है। यह एक अखिल भारतीय मुद्दे को उठाती है और इसके उचित समाधान पर पूरे देश की आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की शांति और समृद्धि निर्भर करेगी।

— (उद्योग और आपूर्ति मंत्री पद से इस्तीफे पर संबोधन, 19 अप्रैल, 1950)

त्रिदिब कुमार चौधरी, सात बार संसद सदस्य, (लोकसभा), क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी

ऐसे कई मामलों की जानकारी है, जहां पाकिस्तान के पासपोर्ट रखने वाले हिंदुओं को भी वीजा नहीं दिया गया ताकि वे यहां आ न सकें। शायद, सरकार के मन में यह डर था कि वे पासपोर्ट सरेंडर कर सकते हैं और यहीं रह सकते हैं। इन चीजों को रोकना होगा। मैं बंगाली लोगों की ओर से बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इन चीजों को रोका जाना चाहिए। आपको उन सभी लोगों को यहां आने की अनुमति देनी चाहिए जो आना चाहते हैं - यह एक तात्कालिक समस्या है। आपको उन्हें यहां आने की अनुमति देनी चाहिए चाहे उनके पास वैध माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है या नहीं, क्योंकि आपने ऐसी व्यवस्था नहीं दे सके, जिससे हर वह व्यक्ति जो यहां आना चाहता है, उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल सके। जो लोग सीमा पार करते हैं और भारत में शरण लेते हैं, उन्हें शरणार्थी प्रमाण पत्र या प्रवास प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। भगवान के लिए उन्हें यहां आने और रहने की अनुमति देनी चाहिए।

— (लोकसभा, 12 फरवरी, 1964)

एच.एन. मुखर्जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बातें की जा रही हैं, जो लोग आ रहे हैं और जो पहले यहां आ चुके हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। वे शरणार्थी नहीं हैं। उन्हें एक घर उपलब्ध कराना होगा। यह देश उनका घर होना चाहिए।

— (लोकसभा, 12 फरवरी, 1964)

राम मनोहर लोहिया, संसद सदस्य के रूप में, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

लोकसभा में राम मनोहर लोहिया ने कहा, 1947 से 1966 के बीच लगभग 70 लाख हिन्दू पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आये थे। 15 साल पहले नेहरू-लियाकत समझौते में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है

— (मस्तराम कपूर, लोकसभा में लोहिया, 2013 पृष्ठ 505–506)

आई.के. गुजराल, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री

हमने संसद में मोहम्मद अली जिन्ना के ऐतिहासिक भाषण में उन्हें यह कहते हुए सुना था कि नया पाकिस्तान 'एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और आधुनिक राज्य' होगा। ' दुर्भाग्य से यह एक अल्पकालिक भ्रम था।

— (आई.के. गुजराल, मैटर्स ऑफ़ डिस्क्रेशन, 2011, पृष्ठ 29)

इंदिरा गांधी, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, लोकसभा, 24 मई, 1971

15 और 16 मई को मैंने असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की पीड़ा को साझा करने के लिए, उन्हें इस सदन और लोगों यानी भारत की सहानुभूति और समर्थन के लिए और स्वयं पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए, जो उनकी देखभाल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

नागरिकता संशोधन विधेयक, कोई उपकार नहीं है। ये अतीत में जो अन्याय हुआ है, उसका प्रायश्चित है। जो मां भारती में श्रद्धा रखते हैं, उन पर ये बड़ा दायित्व है। मुझे उम्मीद है कि ये बिल जल्द संसद से पास होगा और भारत मां में आस्था रखने वालों के सभी हितों की रक्षा करेगा।

2014 से 2019 के बीच के प्रयास

नागरिकता संशोधन विधेयक

मोदी सरकार ने आते ही शुरू किए थे प्रयास

15 जून 2015 को आंकड़े जारी किए कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान से 4,300 हिंदू और सिख 01 वर्ष के अंदर शरणार्थी बनकर भारत आए

19 जुलाई 2016 को नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया

12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया

2.5 साल तक संयुक्त संसदीय समिति ने नागरिकता संशोधन मसौदे का गहन अध्ययन किया

जनवरी-2019 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी

जनवरी-2019 में विधेयक लोकसभा से पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में रुक गया

पिछली लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक स्वत: रद्द हो गया था इसलिए अब इसे पुन: संसद में प्रस्तुत किया गया है

भाजपा संकल्प पत्र 2019

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल(सीएबी)

हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल(सीएबी) को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों से उन वर्गों के लिए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए सभी प्रयास करेंगे, जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है। हम पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते है।

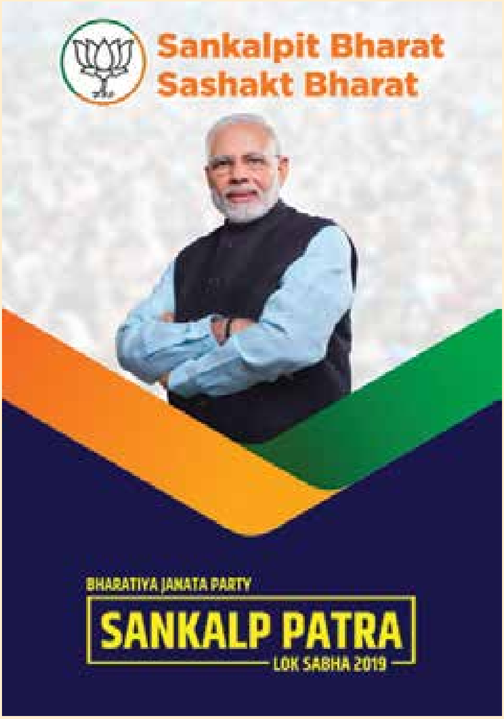

भारत के पड़ोसी देशों से आए सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई को उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाएगी।

यह संशोधित विधेयक (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन के जीने का अवसर प्रदान करेगा।

लंबे समय से अन्याय का दंश झेल रहे इन अल्पसंख्यक विस्थापितों को आज मोदी सरकार के प्रयास से न्याय प्राप्त हुआ है।

– **श्री जगत प्रकाश नड्डा,** राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा

भारत के लिए और हमारे देश की करुणा और भाईचारे की भावना के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। खुश हूं कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में वोट देने वाले सभी सांसदों का आभार। यह विधेयक बहुत सारे लोगों को वर्षों से चली आ रही उनकी यातना से निजात दिलाएगा।

– **श्री नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

कमल संदेश

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास

पी.पी.– 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली – 110003

फोन : 011–23381428, फैक्स : 011–23387887